संख्याः 4/2024/286/94-स्टा0नि0-2-2024-500(159)/06

प्रेषक,

प्रमुख सचिव,
स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त स्टाम्प,
उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2 **लखनऊ : दिनांक 29 फरवरी, 2024**

विषयः- बन्धक विलेखों पर देय स्टाम्प व अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि बन्धक विलेखों पर देय स्टाम्प व अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क के कम आरोपण व संग्रहण विषयक विशेष अनुपालन लेखापरीक्षा पर आयुक्त स्टाम्प के पत्र संख्या 1114 दिनांक 22.08.2023 द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं पर मार्गदर्शन का अनुरोध किया गया है -

1- बन्धक विलेखों के सम्बन्ध में अधिसूचना दिनांक 25.05.2001 में नियत अधिकतम रु0 5 लाख की सीमा का प्रावधान आज भी प्रभावी है, अथवा नहीं?

2- बन्धक विलेखों के सम्बन्ध में 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क उक्त अधिकतम रु0 5 लाख की सीमा में सम्मिलित है, अथवा नहीं?

उपरोक्त के सन्दर्भ में सूच्य है कि स्टाम्प अधिनियम की अनुसूची-1बी के अनुच्छेद 40(बी) में बन्धक पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क की दरों का विवरण अंकित है जिसके अनुसार बन्धक पत्र (बिना कब्जा) पर अनुच्छेद-15 बॉन्ड के अनुसार स्टाम्प शुल्क देय है जिसमें शासन द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के द्वारा संशोधन/प्रावधान किये गये हैं, जो निम्नवत् हैं -

1	उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं संस्थागत वित्त अनुभाग-5 संख्याःक0सं0वि0-5-3706 /11-98-500(20)/98 लखनऊ दिनांक 31.08.1998	बन्धक पत्र बिना कब्जा पर इस अधिसूचना के पूर्व 7 प्रतिशत की दर पर स्टाम्प शुल्क देय था, जो इस अधिसूचना में भी यथावत् रखा गया।
2	उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 संख्याः क0नि0-5-3139/11-2001-500 (121) /2000 टी.सी. लखनऊः दिनांकः 25.05.2001	इस अधिसूचना के द्वारा बन्धक पत्र पर स्टाम्प शुल्क की दर को यथावत् रखा गया, किन्तु बन्धक पत्र के लिखत पर उस सीमा तक जो 5 लाख रुपये से अधिक हो, छूट प्रदान की गयी।
3	उत्तर प्रदेश सरकार संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 संख्या सं0वि0क0नि-5-463-11-2006-500(114)-2005 लखनऊ दिनांक 23.02.2006	इस अधिसूचना के द्वारा दिनांक 31.08.1998 की अधिसूचना को बन्धक पत्र पर भी लागू किया गया, जिसमें स्टाम्प शुल्क की दर को 4 प्रतिशत निर्धारित किया गया।
4	उत्तर प्रदेश सरकार कर एवं निबन्धन अनुभाग-5	इस अधिसूचना के द्वारा बन्धक पत्र बिना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	संख्या-क0नि05-2758/11-2008-500(159)/ 2006 लखनऊ दिनांक 10.07.2008	कब्जा पर स्टाम्प शुल्क की दर 0.5 प्रतिशत की गयी, किन्तु अधिकतम सीमा पूर्ववत् ही रखी गयी।

2- बन्धक पत्र (बिना कब्जा) पर देय स्टाम्प शुल्क सम्बन्धी उपरोक्त सभी अधिसूचनाओं के प्रावधान परस्पर सम्बन्धित व संरेखित हैं, अतः इनको साथ-साथ पढ़ा जाना अपेक्षित है। दिनांक 10.07.2008 को जारी अधिसूचना में स्टाम्प शुल्क की दर को 0.5 प्रतिशत निर्धारित किया गया तथा पूर्व अधिसूचना दिनांक 25.05.2001 में नियत अधिकतम रु0 5 लाख की सीमा के प्रावधान में कोई परिवर्तन न होने से उक्त सीमा यथावत् है, अर्थात् उक्त अधिकतम रु0 5 लाख तक की सीमा वर्तमान में प्रभावी है।

3- सूच्य है कि 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, कुल स्टाम्प शुल्क का अविभाज्य अंग है। यह मत मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा भी जगदीश लाल बनाम कलेक्टर (AIR 1979) में व्यक्त किया गया है कि The Provisions of other law can not be read interpreting the provisions of the Stamp Act.

अतएव, उपरोक्त के आलोक में यह स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2, सन् 1899) की अनुसूची-1(ख) के अनुच्छेद-40 के खण्ड (ख) और (ग) के अधीन बन्धक पत्र के लिखत पर अधिसूचना दिनांक 10.07.2008 व 25.05.2001 के अनुसार आगणित स्टाम्प शुल्क में दो प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क भी सम्मिलित है, अर्थात् स्टाम्प शुल्क की अधिकतम सीमा 2 प्रतिशत अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क सहित निर्धारित है।

तत्क्रम में यह अपेक्षित है कि बन्धक विलेख के सम्बन्ध में यदि कोई स्टाम्पवाद लम्बित है तो उसका निस्तारण उपरोक्त स्पष्टीकृत प्रावधानों के आलोक में किये जाने हेतु समस्त सम्बन्धित को अपने स्तर से निर्देशित किया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

संख्या-4/2024/286(1)/94-स्टा0नि0-2-2024 दिनांक 29 फरवरी, 2024

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2- समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उपायुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।
4- समस्त सहायक आयुक्त स्टाम्प, उत्तर प्रदेश।

लीना जौहरी
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in